न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :—श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :— 25 / 2024
जीसीएमएसनं. :— 2024 / 69

बनाम

वादीगण :—
1. ओमप्रकाश पुत्र धुकलराम
2. भलाराम पुत्र धुकलराम
3. भीयाराम पुत्र धुकलराम
4. शिवराम पुत्र धुकलराम

जातियान विश्नोई निवासी ग्राम रामड़ावास कलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रतिवादी :—
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री निर्मल कटारिया वादीगण की ओर से
प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :— 21.02.2024

''आदेश''

दिनांक : 08/12/2025

वादीगण ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 88 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रामड़ावास कलां पटवार क्षैत्र रामड़ावास कलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादीगण की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा, कृषि भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 2.1439 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 358 रकबा 1.7717 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 364/2 क्षेत्रफल 1.5695 हेक्टेयर किस्म बारानी ए. खसरा नबंर 365 क्षेत्रफल 2.5484 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरें 04 कुल क्षेत्रफल 8.0335 हेक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 300 व पूराना 209 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरें की कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता नाम धोकलराम अंकित है जो कि त्रुटिंपूर्ण नाम है जबकि वादीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम धुकलराम है। वादीगण के आधार कार्ड, परिवार कार्ड, बैंक डायरी में वादीगण के पिता का सही नाम धुकलराम अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता का नाम भुलवश सेवन से घरेलु बोलचाल का नाम धोकलराम अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें का वादीगण अधिकारी है। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी ओमप्रकाश नाम ओमाराम अंकित है जो कि त्रुटिंपूर्ण नाम है जबकि वादी संख्या एक का सही व वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र धुकलराम है। वादी ओमप्रकाश के आधार कार्ड, परिवार कार्ड, बैंक डायरी में वादी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र धुकलराम अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी ओमप्रकाश व वादी ओमप्रकाश के पिता का नाम भुलवश सेवन से घरेलु बोलचाल का नाम ओमाराम पुत्र धोकलराम अंकित हो गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें का वादीगण अधिकारी है। वादीगण द्वारा दिनांक 14.02.2024 को तहसीलदार पीपाड शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादीगण को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादीगण के पास विकल्प नही है इसलिए वादीगण का उक्त वाद वास्तें सही नाम ओमाराम पुत्र धोकलराम, मलाराम पुत्र धोकलराम, मीयाराम पुत्र धोकलराम, शिवराम पुत्र धोकलराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र धुकलराम, मलाराम पुत्र धुकलराम, भीयाराम पुत्र धुकलराम, शिवराम पुत्र धुकलराम किये जानें की घोषणा हेतु प्रस्तुत है।

इंस्तदुआ वादीगण निम्न प्रकार से है :– वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आश्य की घोषणा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम रामडावासकंला पटवार क्षेत्र रामडावासकंला तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (राज.) की राजस्व सीमा में वादीगण की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 27 रकबा 2.1439 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 358 रकबा 1.7717 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 364/2 रकबा 1.5695 हेक्टेयर किस्म बारानी ए, खसरा नबंर 365 रकबा 2.5484 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरें 04 कुल रकबा 8.0335 हेक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम ओमाराम पुत्र धोकलराम, मलाराम पुत्र धोकलराम, भीयाराम पुत्र धोकलराम, शिवराम पुत्र धोकलराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र धुकलराम, मलाराम पुत्र धुकलराम, भीयाराम पुत्र धुकलराम, शिवराम पुत्र धुकलराम घोषित किया जावें। अन्य अनुतोष जो हित वादीगण हो वादीगण के पक्ष में अता फरमावें।

हमने वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया । प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर को जरिये नोटिस जारी किया गया । प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ और तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि वादीगणो की ग्राम रामड़ावास कलां स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 2.1439 हैक्टयर, खसरानम्बर 358 रकबा 1.7717 हैक्टयर, खसरा नम्बर 364/2 रकबा 1.5695 हैक्टयर, खसरा नम्बर 365 रकबा 2.5484 में ओमाराम 1/4, मलाराम 1/4, मीयाराम 1/4 शिवराम 1/4 पिसरान धोकलराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज हैं। वादीगण सं. 1 अनुसार ओमाराम के स्थान पर ओमप्रकाश है एवं पिता का नाम धोकलराम के स्थान पर धुकलराम है। ओमाराम बोलचाल का नाम है एवं सभी दस्तावेजो में ओमप्रकाश दर्ज है, इसी तरह सभी वादियो के पिता का नाम धोकलराम अभिलेख में दर्ज हैं परन्तु वादीगणो के दस्तावेजो में धुकलराम दर्ज हैं। अतः वादीगणो के दावे, शपथ पत्र, हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजी में ओमाराम, मलाराम, भींयाराम, शिवराम पिता धोकलराम के स्थान पर ओमप्रकाश, मलाराम, भींयाराम, शिवराम पिसरान धुकलराम (हिस्सा बराबर) जाति विश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी, जिसमे वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के बिन्दुओ को वादीगण की कृषिभूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 2.1439 हैक्टयर, खसरानम्बर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

358 रकबा 1.7717 हैक्टयर, खसरा नम्बर 364/2 रकबा 1.5695 हैक्टयर, खसरा नम्बर 365 रकबा 2.5484 में ओमाराम 1/4, भलाराम 1/4, भीयाराम 1/4 शिवराम 1/4 पिसरान धोकलराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज हैं। वादीगण सं. 1 अनुसार ओमाराम के स्थान पर ओमप्रकाश है एवं पिता का नाम धोकलराम के स्थान पर धुकलराम है। ओमाराम बोलचाल का नाम है एवं सभी दस्तावेजो में ओमप्रकाश दर्ज है, इसी तरह सभी वादियो के पिता का नाम धोकलराम अभिलेख में दर्ज हैं परन्तु वादीगणो के दस्तावेजो में धुकलराम दर्ज हैं। अतः वादीगणो के दावे, शपथ पत्र, हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजी में ओमाराम, भलाराम, भींयाराम, शिवराम पिता धोकलराम के स्थान पर ओमप्रकाश, भलाराम, भींयाराम, शिवराम पिसरान धुकलराम (हिस्सा बराबर) जाति विश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज किये जाने इसी प्रकार प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने नाम शुद्धि बाबत् अनापति जाहिर की है ।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार जवाब अनुसार वादीगण का वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि वादीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 2.1439 हैक्टयर, खसरानम्बर 358 रकबा 1.7717 हैक्टयर, खसरा नम्बर 364/2 रकबा 1.5695 हैक्टयर, खसरा नम्बर 365 रकबा 2. 5484 में ओमाराम 1/4, भलाराम 1/4, भीयाराम 1/4 शिवराम 1/4 पिसरान धोकलराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज हैं। वादीगण सं. 1 अनुसार ओमाराम के स्थान पर ओमप्रकाश है एवं पिता का नाम धोकलराम के स्थान पर धुकलराम है। ओमाराम बोलचाल का नाम है एवं सभी दस्तावेजो में ओमप्रकाश दर्ज है, इसी तरह सभी वादियो के पिता का नाम धोकलराम अभिलेख में दर्ज हैं परन्तु वादीगणो के दस्तावेजो में धुकलराम दर्ज हैं। अतः वादीगणो के दावे, शपथ पत्र, हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजी में ओमाराम, भलाराम, भींयाराम, शिवराम पिता धोकलराम के स्थान पर ओमप्रकाश, भलाराम, भींयाराम, शिवराम पिसरान धुकलराम (हिस्सा बराबर) जाति विश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 08/12/2015 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)